न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 239 / 2024

अनवान : –

1. संदीप पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. कृष्णा पत्नी संदीप जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. बन्तो देवी पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. मुदित कुमार पुत्र स्व0 सुमित्रा पुत्री महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
3. नमन कुमार पुत्र स्व0 सुमित्रा पुत्री महावीर प्रसाद जाति जाट जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 24/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता स0 112 / 106 की कुल 1.7200 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 82 / 82 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि महावीर प्रसाद पुत्र मनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में महावीर प्रसाद पुत्र मनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी स0 1 का पिता है। महावीर प्रसाद पुत्र मनीराम का स्वर्गवास हो चुका है महावीर प्रसाद पुत्र मनीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 जो की वादी स0 1 की माता है तथा प्रतिवादी स0 2 व 3 वादी स0 1 की बहिने के पुत्रगण है जो की उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुके है। वादी की बहन सुमित्रा का देहान्त हो चुका है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण क[illegible] के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर[illegible] आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण महावीर व सुमित्रा दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में महावीर प्रसाद पुत्र मनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी स0 1 का पिता है। महावीर प्रसाद पुत्र मनीराम का स्वर्गवास हो चुका है महावीर प्रसाद पुत्र मनीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 जो की वादी स0 1 की माता है तथा प्रतिवादी स0 2 व 3 वादी स0 1 की बहिने के पुत्रगण है जो की उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुके है। वादी की बहन सुमित्रा का देहान्त हो चुका है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता स0 112/106 की कुल 1.7200 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 18 एनटीआर [illegible] नोहर के खाता स0 82/82 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि महावीर [illegible] मनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में महावीर प्रसाद पुत्र मनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी स0 1 का पिता है। महावीर प्रसाद पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मनीराम का स्वर्गवास हो चुका है महावीर प्रसाद पुत्र मनीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 जो की वादी स0 1 की माता है तथा प्रतिवादी स0 2 व 3 वादी स0 1 की बहिने के पुत्रगण है जो की उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुके है। वादी की बहन सुमित्रा का देहान्त हो चुका है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण काबिज है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली मे दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक भूराराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता स0 112/106 की कुल 1.7200 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 82/82 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि महावीर प्रसाद पुत्र मनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं, में महावीर प्रसाद पुत्र मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:37:10 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 239/2024

अनवान : –

1. संदीप पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. कृष्णा पत्नी संदीप जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. बन्तो देवी पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. मुदित कुमार पुत्र स्व0 सुमित्रा पुत्री महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
3. नमन कुमार पुत्र स्व0 सुमित्रा पुत्री महावीर प्रसाद जाति जाट जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 239 सन 2024 निर्णय दिनांक 24/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता स0 112/106 की कुल 1.7200 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 82/82 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि महावीर प्रसाद पुत्र मनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में महावीर प्रसाद पुत्र मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:37:10 IST
Reason: SelfAttested